तत्काल
अत्यावश्यक

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.gov.in E-mail : jdmpsamb@gmail.com Tel: 0755-4270561

क्रमांक / बी–5 / 2 / अनुज्ञा–मॉडयूल / 2014–15 / 930 भोपाल दिनांक 04 सितम्बर 2015

प्रति,

संयुक्त संचालक / उप संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल / इंदौर / उज्जैन / ग्वालियर / सागर / जबलपुर / रीवा (म0प्र0)

विषयः–प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र मॉडयूल को क्रियान्वित किये जाने संबंधी।

संदर्भः–दिनांक 17 अगस्त 2015 को सम्पन्न वीडियो कान्फ्रेंस एवं दिनांक 20 अगस्त 2015 को सम्पन्न हुई संयुक्त संचालक / उप संचालक, आंचलिक कार्यालयों की बैठक का कार्यवाही विवरण।

–0–

उल्लेखित विषय में प्रारुप–दस, अनुज्ञा पत्र हेतु घोषणा पत्र को भरते समय जिस व्यापारी को उपज भेजी एवं बेची जा रही है के नाम के स्थान पर उस व्यापारी का अनुज्ञप्ति क्रमांक अर्जित करने हेतु यह प्रस्तावित किया था कि प्रदेश के सभी लायसेंसी व्यापारियों को PAN (Permanent Accounting Number) की तरह से ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र मॉडयूल अंतर्गत एक यूनिक पहचान क्रमांक MAN (Mandi Accounting Number) प्रदान किया जाये। यह उन सभी लायसेंसी व्यापारियों को प्रदान की जावेगी जिसका विवरण ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र मॉडयूल में इंद्राज कर दिया गया है। इसका लाभ यह होगा कि एक मण्डी से दूसरी मण्डी हेतु या एक ही मण्डी में एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी को जिन्सों के विक्रय हेतु MAN की प्रविष्टि करने से अनुज्ञा पत्र पर व्यापारी की पूर्ण जानकारी स्वतः ही कम्प्यूटर के साथ साथ सभी प्रदेश की मण्डी समितियों को प्राप्त हो सकेगी। यह प्रक्रिया अनुज्ञा सत्यापन में भी सहायक होगी।

उपरोक्त विषय पर अंचल की मण्डी समितियों के सचिव से चर्चा कर दिनांक 31 अगस्त 2015 तक अपना अभिमत मण्डी बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करने के निर्देश प्रबंध संचालक महोदय के द्वारा दिये गये थे। विषय संदर्भ में किसी भी संयुक्त संचालक / उप संचालक, आंचलिक कार्यालयों के द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है, यह स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है।

अतः उपरोक्त निर्देशों को गंभीरता से लेते हुये दिनांक 10 सितम्बर 2015 तक अपना प्रतिवेदन अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायें ताकि एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से चर्चा कर आगामी कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जा सके।

(ए0पी0एस0सोलंकी)
अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी–5/2/अनुज्ञा–मॉडयूल/2014–15/931 भोपाल दिनांक 04 अगस्त 2015

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(01) निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म0प्र0)।

(02) श्री ए0एन0सिद्धीकी, तकनीकी निदेशक भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(03) उप संचालक (नियमन)/उप संचालक (वित्त/आडिट), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म0प्र0)।

(04) सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति .... जिला .... (म0प्र0) :– विषय संदर्भ में दिये गये निर्देशों का पालन अनिवार्य रुप से सुनिश्चित करें।

अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल